तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.7.21	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप० है। वकील अप्रार्थी ने जवाब पेश नहीं किया है। कई अवसर दिये जा चुके हैं। वकील अप्रार्थी का जवाब बन्द किया जाता है। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। वाद पत्र संख्या 42/2000 के निर्णय दिनांक 19.11.2012 एवं डिक्री दि0 19.11.2012 को यथावत रखते हुए प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह भूमि खसरा नं. 15/3 रकबा 5 बीघा, 15/4 रकबा 6 बीघा, 15/5 रकबा 5 बीघा, तथा 15/6 रकबा 10 बीघा कुल किता 4 कुल रकबा 26 बीघा वाके ग्राम फलास्थूनी पटवार मण्डल मरां तहसील नैनवां की आराजीयात के किसी भाग पर से वादीगण के वैधानिक स्वत्व एवं शांतिपूर्ण वैध आधिपत्य, उपयोग व उपभोग पर किसी का हस्तक्षेप न तो स्वयं करें और न ही किसी अन्य से करावे तथा वादीगण को बेदखल नहीं करे और न ही आराजी के किसी हिस्से पर जबरन कब्जा करें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। तहसीलदार नैनवां को [illegible] हेतु लिखा जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.09.13 10:47:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner